

राजस्थान सरकार

कर अपवंचना रोकने एवं सार्वजनिक धन की रक्षा में भागीदार बनें,

साथ में ईनाम भी पायें

(प्राप्त निर्विवादित राजस्व का 8 से 12 प्रतिशत तक ईनाम राशि)

सूचनादाता की पहचान गुप्त

सूचनाओं की गोपनीयता के लिये राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है।



बिक्रीकर (वैट), आबकारी शुल्क, माइनिंग रॉयल्टी, पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क तथा मोटर वाहनों से सम्बंधित कर चोरी की सूचना देवे एवं इनाम पायें। कर चोरी के कुछ उदाहरण इस प्रकार है।

वाणिज्यिक कर विभाग (9929310018, 8562054691, 9414349414)

- बिना बिल के अथवा कच्ची पर्ची/estimate पर माल बेचना।
- बिना दस्तावेजों/अपूर्ण दस्तावेजों के माल परिवहन करना।
- बिक्री किये गये माल के बिल में आइटम का सही नाम अंकित नहीं करना।
- अघोषित माल को गोदामों में रखना

परिवहन विभाग (9414019355)

- व्यक्तिगत वाहनों का व्यावसायिक यात्री वाहनों के रूप में उपयोग।
- अन्य राज्यों के पंजीकृत वाहनों का राज्य में संचालन
- वाहनों का अवैध संचालन।
- परमिटधारियों द्वारा अपने मूल परमिट मार्ग पर न चलकर अन्य मार्गों पर संचालन।
- वाहनों के पुनः बिक्री के समय एकबारीय कर की चोरी।
- अर्थ मूविंग व्हीकल (JCB) का बिना रजिस्ट्रेशन प्रयोग होना।

आबकारी शुल्क (9414048835)

- अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन की सूचना
- बिना लाइसेंस शराब विक्रय की सूचना
- होटल/रेस्टोरेन्ट/विभिन्न पार्टियों/समारोह में बिना वैध अनुमति शराब वितरण की सूचना

खान एवं भूविज्ञान विभाग (9413002879)

- अवैध खनन
- खान पट्टाधारी द्वारा खनिज परिवहन के समय खनिज के वास्तविक भार से खन्ना में कम भार दर्शाकर रॉयल्टी की चोरी।
- रेलवे ट्रेक Four lane , मेगा हाईवे, हाईवे निर्माण में काम में आने वाले खनिजों (गिट्टी मुररम) का ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति (STP) आपूर्ति।

मुद्रांक एवं पंजीयन (9784806532, 8003099901)

- अपंजीकृत एग्रीमेंट के आधार पर भूमि का बेचान कर मुद्रांक शुल्क की चोरी।
- पंजीबद्ध विक्रय पत्र में भूमि भवन का गलत वर्गीकरण कर मुद्रांक शुल्क की चोरी।
- दस्तावेज को पंजीकृत कराते समय सम्पत्ति की सड़क से दूरी संबंधी तथ्य को छुपाकर मुद्रांक शुल्क की चोरी।
- बिना भूमि रूपान्तरण के कृषि भूमि का आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक उपयोग कर मुद्रांक शुल्क की चोरी। किरायेनामे का पंजीकरण (यथा मॉल आदि वाणिज्यिक उपयोग में ली गई इमारतें) न करवाकर मुद्रांक शुल्क की चोरी।

शिकायत हेतु login करें – www.sdri.rajasthan.gov.in अथवा फ़ैक्स नम्बर: 0141-2744841

टोल फ़्री नं. – 1800180 6292 ई-मेल : sdri@rajasthan.gov.in